बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–04–10/2024(स्वा0)........................./ पटना, दिनांकः–.....................................

डा0 आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–2130 दिनांक–30.08.2024 द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान दिनांक–10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. डा0 कुमार से प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय ज्ञापन सं0–1074(9) दिनांक–25.10.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की मॉग की गयी।

3. डा0 कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है कि वे दिनांक–10.08.2024 को कर्त्तव्य पर उपस्थित थे। उनके द्वारा डा0 राकेश कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड का कार्य किया जा रहा था। इस कारण से वे जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। विभागीय पत्रांक–98(9) दिनाक–27.01.2025 द्वारा डा0 आलोक कुमार के स्पष्टीकरण पर सिविल सर्जन, लखीसराय से मंतव्य की मॉग की गयी। तदालोक में सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्रांक–354 दिनांक–11.03.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि डा0 आलोक कुमार द्वारा दिनांक–10.08.2024 को मेडिकल बोर्ड मे POCSO का जॉच किया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा0 आलोक कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर एवं सिविल सर्जन, लखीसराय से प्राप्त प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि डा0 आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय औचक निरीक्षण के दौरान चिकित्सीय कार्य करने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, लखीसराय के समक्ष उपस्थित नही हो सके। डा0 कुमार के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0–1074(9) दिनांक–25.10.2024 द्वारा अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया।

5. अतएव डा0 आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध दिनांक–10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–10/2024(स्वा0)......719(9)....../पटना, दिनांकः–...30.6.25.......

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एव ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/सबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, मुंगेर प्रमंडल, मुंगर/सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 आलोक कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/06/2025

(15)

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

30/06/2025

सरकार के अवर सचिव।